न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

छाजूमल बनाम मामराज वगै.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
दावा	दि.नं.–55/04
08.11.2021	पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– नाथूसर में पेश हुई। वादीगण मय पक्षकारान् उपस्थित। ग्राम पंचायत– नाथूसर में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण व अन्य पक्षकारान् में से वादी नं. 1 के पुत्र छाजुलाल व औमप्रकाश पारीक, जीवण लाल पारीक, मामराज शर्मा, बद्रीनारायण शर्मा, सत्यनारायण पारीक, अमरचन्द, रघुवीर पारीक की पहचान सरपंच प्रतिनिधि श्री भैरूंसिंह पुत्र रिछपाल सिंह निवासी नाथूसर के द्वारा की गई। वादी मय पक्षकार ने प्रकरण में प्रतिवादीगण पक्षकारान् के द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादी के पक्ष में राजीनामा व जवाब दावा पेश कर दिये जाने से वादपत्र का आज ही लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वादी पुत्र व अन्य पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में पक्षकारान् को सुना गया। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को ग्राम पंचायत– नाथूसर में आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के मजमे–ए–आम में सुनाया गया। 08/11/21 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) कैम्पः–नाथूसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

कैम्पः— नाथूसर

पीठासीन अधिकारी — श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
55/2004	2004/013	06.04.2004	08.11.2021

उनवान

1. कल्याणमल पुत्र रामकुंवार मृत्तक के स्थान पर
   1/1 छाजूलाल पुत्र स्व0 कल्याणमल आयु 62 वर्ष
   1/2 सत्यनारायण पुत्र स्व0 कल्याणमल आयु 53 वर्ष
   1/3 रघुवीर प्रसाद पुत्र स्व0 कल्याणमल आयु 49 वर्ष
   1/4 भानू देवी पुत्री स्व0 कल्याणमल आयु 64 वर्ष
   1/5 कंचन देवी पुत्री स्व0 कल्याणमल आयु 59 वर्ष
   1/6 ललिता देवी पुत्री स्व0 कल्याणमल आयु 47 वर्ष
2. पतासी देवी बेवा शंकर लाल आयु 70 साल
3. राधेश्याम पुत्र शंकरलाल आयु 32 साल

जाति पारीक निवासीगण ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

वादीगण

बनाम्

1. मामराज पुत्र नाथूराम आयु 37 साल
2. औमप्रकाश पुत्र नाथूराम आयु 32 साल
3. द्वारका प्रसाद पुत्र महादेव आयु 35 साल मृत्तक के स्थान पर
   3/1 जीवणराम पुत्र द्वारका प्रसाद आयु 30 वर्ष
   3/2 श्यामसुन्दर पुत्र द्वारका प्रसाद आयु 27 वर्ष
   3/3 अनोपी देवी पुत्री द्वारका प्रसाद आयु 5[illegible] वर्ष
   3/4 सन्तोष देवी पुत्री द्वारका प्रसाद आयु [illegible] वर्ष

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

08/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

3/5 सुरज्ञान देवी पुत्री द्वारका प्रसाद आयु 32 वर्ष

4. शंकरलाल पुत्र आन्दीलाल आयु 35 साल
5. श्यामसुन्दर पुत्र आन्दीलाल आयु 32 साल
6. कैलाश पुत्र आन्दीलाल आयु 30 साल
7. श्रवण पुत्र आन्दीलाल आयु 28 साल
8. राधेश्याम पुत्र आन्दीलाल आयु 25 साल
9. मदनलाल पुत्र मोहनलाल आयु 48 साल
10. बनवारी पुत्र मोहनलाल आयु 45 साल
11. हणमान पुत्र मोहनलाल आयु 42 साल
12. सुरेश पुत्र मोहनलाल आयु 38 साल
13. गिरधारी पुत्र मोहनलाल-आयु 35 साल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

14. नानगी बेवा रामनाथ आयु 75 साल
15. भागीरथ पुत्र रामनाथ आयु 40 साल
16. बीरबल पुत्र रामनाथ आयु 36 साल
17. कुम्भाराम पुत्र रामनाथ आयु 34 साल
18. मोहनलाल पुत्र रामनाथ आयु 30 साल
19. बल्लू पुत्र लादू आयु 55 साल
20. अर्जून पुत्र बींजा आयु 34 साल

समस्त जाति जाट निवासीगण रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

21. शाखा प्रबन्धक, शेखावाटी ग्रामीण बैंक, नाथूसर
22. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण

23. अमरचन्द पुत्र शंकरलाल जाति पुरोहित निवासी ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

तरतीबी प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

08/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित—

श्री रामावतार सैनी प्रथम, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री हरि प्रसाद गुप्ता, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 3 से 8 अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी नं. 22

वादपत्र बाबत ईस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर सत्यमेव जयते

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1728, 1749, 1750, 1751, 1752, 1758, 1840, 1841, 1842, 1875, 1876 कुल किता 11 कुल रकबा 4.07 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर की खातेदारी में 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नं. 3 के नाम, 1/2 हिस्सा वादी नं. 1, 2, 3 व तरतीबी प्रतिवादी सं. 23 के स्व0 पिता व पति शंकरलाल के नाम दर्ज रिकार्ड हैं एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 1760, 1761, 1762 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर के 1/6 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 एंव ढाई आना हिस्सा जो गलत अंकित किया गया है वह वादी नं. 1, 2 तरतीबी प्रतिवादी नं. 23 के स्व0 पिता शंकरलाल के नाम एंव प्रतिवादी नं. 4 ता 13 के पूर्वज आनन्दीलाल व मोहनलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1914, 1916, 1917, 3441 कुल किता 4 कुल रकबा 2.98 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर खातेदारी में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम, 1/12 हिस्सा प्रतिवादी नं. 3 के नाम, 1/6 हिस्सा वादी नं. 1, 2, 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 23 के मृत्तक पिता व पति शंकरलाल के नाम एंव इस भूमि में शेष 2/3 हिस्सा प्रतिवादी नं. 14 ता 20 के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 3510, 3512 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 हैक्टर की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 के नाम 1/4 हिस्सा, वादीगण नं. 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 के मृततक पिता व पति शंकरलाल एंव वादी नं. 1 कलावती के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार भूमि खसरा नम्बर 4447 रकबा 0.80 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा की खातेदारी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

08/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के नाम 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी नं. 3 के नाम 1/2 हिस्सा, वादी नं. 2, 3 व तरतीबी प्रतिवादी नं. 23 के पिता व पति मृत्तक शंकरलाल के नाम 1/6 हिस्सा एंव प्रतिवादीगण नं. 4 ता 13 के पूर्वज आन्नदीलाल व मोहनलाल के नाम से 1/4 हिस्सा की जगह गलती से 1/3 हिस्सा दर्ज होकर तन् ग्राम रतनपुरा में स्थित है। पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी नं. 23 एक ही परिवार के सदस्य है। जो सजरा खानदान से स्पष्ट है। सजरा खानदान के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 एंव तरतीबी प्रतिवादी नं. 23 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका पूर्वजों के समय से शामलाती परिवार होकर भूमि पक्षकारान् अपने-अपने नाम दर्ज हिस्सों के अनुसार शामलाती रूप से काश्त करते चले आ रहे थें एंव उक्त पक्षकारगण की ग्राम नाथूसर एंव रतनपुरा में कुछ अन्य भूमियॉ भी थी जिनमे से पक्षकारान् वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 व तरतीबी प्रतिवादी नम्बर 23 के पूर्वज शंकरलाल के नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान् अर्सा करीब 40 साल पूर्व शामलाती रूप से काबिज काश्त थे परन्तु अर्सा करीब 40 साल से पक्षकारान् के बीच विवादित भूमि ग्राम रतनपुरा व नाथूसर की अन्य भूमियॉ जिनका प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 3 ने दीगर लोगों को बैचान कर दिया है का पक्षकारान् के बीच विभाजन हो जाने के बाद ग्राम नाथूसर की भूमि खसरा नम्बर 1728, 1749, 1750, 1751, 1752, 1758, 1840, 1841, 1842, 1875, 1876 कुल किता 11 कुल रकबा 4.07 हैक्टर का 3/4 हिस्सा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 23 के व इनके स्व0 पिता शंकरलाल के हिंस्से में तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1760, 1761, 1762 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर में से साढ़े तेरह आना हिस्सा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 के हिस्सा में एंव ढाई आना भूमि प्रतिवादीगण नं. 4 ता 13 के हिस्सा मे आया था। इसी प्रकार ग्राम रतनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 1914, 1916, 1917, 3441 कुल किता 4 कुल रकबा 2.98 हैक्टर में पक्षकारान् वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 के मृत्तक पिता व पति शंकरलाल व प्रतिवादी नं. 1 ता 3 के नाम दर्ज सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी नं. 23 के हिस्सा में एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3510, 3512 कुल कि[illegible] रकबा 0.84 हैक्टर की खातेदारी सम्पूर्ण वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी[illegible] नं. 23 के हिस्से [illegible] भूमि खसरा नम्बर 4447 रकबा 0.80 हैक्टर की खातेदारी में हिस्से गलत अंकित किये गये है का सम्पूर्ण 3/4 हिस्सा वादीगण [illegible] तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 के हिस्से मं आया था तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण नं. 4 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

08/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सत्यमेव जयते
श्रीमाधोपुर

13 का है जिसको गलत रूप से 1/3 हिस्सा दर्ज किया है तब से पक्षकारान् विवादित भूमि पर उपरोक्तानुसार मौके पर काबिज काश्त है। पारिवारिक विभाजन अर्सा करीब 40 साल से वादीगण ने अपने हिस्से की इस भूमि को स्वंय के खर्चे से उन्नत व उपजाउ बनाया है तथा प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 का वादीगण के कब्जे हिस्से व अधिकार की इस भूमि से अर्सा करीब 40 साल से किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है। उपरोक्तानुसार पक्षकारान् के परिवार के मध्य भूमियों का विभाजन होने के बाद वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी नं. 23 ने अपने हिस्से में आई भूमि को स्वंय के खर्चे से उन्नत व उपजाउ बनाया है। उक्त भूमियों का विभाजन होने के बाद प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 ने अपने हिस्से की भूमि को कानाराम, सुणाराम, दीनाराम, छोटूराम माली को एंव कानसिंह, बद्रीसिंह राजपूत आदि को बैचान करके प्रतिफल राशि स्वंय प्रतिवादी नं. 1 ता 3 ने स्वंय ने प्राप्त कर ली है। प्रतिवादी नं. 1 ता 3 द्वारा अपने हिस्से की भूमि को उक्त वर्णित लोगों के पक्ष में बेचान करने के समय इसकी खातेदारी में वादीगण का नाम दर्ज होने के कारण विक्रय पत्र में वादीगण के हस्ताक्षर नहीं करवाये गये थें। वास्तव में तथाकथित बैचान अकेले प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 ने करके प्रतिफल राशि स्वंय ने प्राप्त की थी। इस बाबत प्रतिवादी नं. 3 परिवार का मुखिया कर्त्ता व राजकाज करने में होने वाले समस्त कार्य सम्पन्न करता था। विक्रय पत्र में वादी नं. 1 से 3 तरतीबी प्रतिवादी नं. 23 के पिता व पति मृत्तक शंकरलाल ने हस्ताक्षर नहीं किये थे तथाकथित विक्रय पत्र में प्रतिवादी नं. 1 ता 3 ने वादीगण के फर्जी हस्ताक्षर किये है। केवल मात्र एक रजिस्ट्री वादीगण की जानकारी व हस्ताक्षरों से हुई थी। जिसके समय प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने वादीगण के पक्ष में दिनांक 8.12.93 को 5/– रूपए के स्टाम्प पर वादीगण के नाम से इकरारनामा भी गवाहों के समक्ष निष्पादित कर दिया था। जिससे प्रतिवादीगण पूर्णतया स्टोप्ड है तथा अब वादीगण के हिस्सें की उक्त वर्णित भूमि के वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादीगण स्वंय के हिस्से की इस भूमि पर किसान केडिट कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से दिनांक [illegible]04 को जमाबन्दी की नकल लेने पर जानकारी होते ही वाद कारण पैदा होकर दावा करना लाजिम आया है। वादीगण ने वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण का पेश कर निम्नानुसार डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया गया है कि :— ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 1728, 1749, 1750, 1751,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
सत्यमेव जयते

08/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

1752, 1758, 1840, 1841, 1842, 1875, 1876 कुल किता 11 कुल रकबा 4.07 हैक्टर के वादीगण नं. 1/1 से 1/6 को 3/8 हिस्सा का तथा वादीगण नं. 2 व 3 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 23 को 3/8 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने व इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1760, 1761, 1762 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर के 1/2 हिस्सा का वादीगण नं. 1/1 से 1/6 को तथा 1/2 हिस्सा का वादीगण नं. 2 व 3 एंव तरतीबी प्रतिवादी सं. 23 को दर हिस्सा साढ़े तेरह आने का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा इसी प्रकार ग्राम रतनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 1914, 1916, 1917, 3441 कुल किता 4 कुल रकबा 2.98 हैक्टर के सम्पूर्ण के 1/6 हिस्से का वादीगण नम्बर 1/1 से 1/6 को तथा वादीगण नं. 2 व 3 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 को 1/6 हिस्सा कुल 1/3 हिस्से का एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3510, 3512 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 हैक्टर के सम्पूर्ण का 1/2 हिस्से का वादीगण नं. 1/1 से 1/6 को तथा 1/2 हिस्सा का वादीगण नं. 2 व 3 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 को एंव भूमि खसरा नम्बर 4447 रकबा 0.80 हैक्टर के 3/8 हिस्सा का वादीगण सं. 1/1 से 1/6 को तथा 3/8 हिस्से का वादीगण सं. 2 व 3 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने एंव इन भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी नं. 1 ता 3 का नाम हजफ किया जाने का निवेदन वकील वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र में किया गया है।

इस पर वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 मामराज व 3 द्वारका प्रसाद की ओर से दिनांक 10.01.2005 को हाजिर अदालत उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया गया है एंव प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से वादीगण के पक्ष में दिनांक 15.02.2005 को राजीनामा न्यायालय में पेश किया गया है जो तस्दीक किया हुआ नहीं पाया गया। वही प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 15.07.2004 को जवाब दावा पेश किया गया एंव प्रतिवादीगण संख्या 4 लगायत 8 की ओर से जवाब दावा दिनांक 12.10.2004 को पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत– नाथूसर में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादी नं. 1 के पुत्र छाजुलाल व अन्य पक्षकारान् में औमप्रकाश पारीक, जीवण लाल पारीक, मामराज शर्मा

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
सत्यमेव जयते
08/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

बद्रीनारायण शर्मा, सत्यनारायण पारीक, अमरचन्द, रघुवीर पारीक इत्यादि उपस्थित आये जिनकी पहचान सरपंच प्रतिनिधि श्री भैरूसिंह पुत्र रिछपाल सिंह निवासी नाथूसर के द्वारा की गई। इनके अलावा अन्य कोई पक्षकारान् ना तो न्यायालय में ही उपस्थित आये है एंव ना ही प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत नाथूसर में आयोजित शिविर में ही उपस्थित आये है। शिविर के दौरान ही पक्षकारान् ने उपस्थित होकर पत्रावली में पक्षकारान् के द्वारा पूर्व में वादीगण के पक्ष में पेश किये गये राजीनामा अनुसार वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए राजीनामा व पेशशुदा जवाब दावा के आधार पर वादपत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत ग्राम पंचायत– नाथूसर में आयोजित शिविर में उपस्थित वादीगण व प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा किये जाने बाबत अपनी–अपनी स्वीकारोक्ति बरूए राजीनामा प्रदान की जा चुकी है। इस बाबत प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 3 ने सहमति बतौर राजीनामा पेश किया जा चुका है।

उपस्थित पक्षकारान् ने प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया गया। उपस्थित वादी व अन्य पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में दौराने शिविर ही मजमे–ए–आम में ही सुना गया। दौराने बहस वादी मय पक्षकारान् ने पक्षकारान् वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व जवाब दावा के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री किये में कोई आपत्ति या एतराज ,नहीं होना जाहिर किया। वादी पक्षकारान् व उपस्थित समस्त पक्षकारान् ने वादपत्र को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर डिक्री पारित किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

हमने वादी मय पक्षकारान् को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया एंव वादी मय पक्षकारान् की सुनवाई पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एंव राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबन्दी सम्वत् 2069–2072, 2074–2077 कुल दो–दो जमाबन्दियों में प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। जिस बाबत ग्राम पंचायत नाथूसर के मजमे–ए–आम में उपस्थित होकर वादी व [illegible] पक्षकारान् के द्वारा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पक्ष में राजीनामा व [illegible] जवाब दावा पेश किया गया है। जिससे भी उक्त वादग्रस्त भूमियों के पैत्रृक भूमि होना स्पष्ट प्रकट होता है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमियों के पैत्रृक भूमियॉं होने से एंव उपस्थित पक्षकारान् के द्वारा आपस में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

08/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

सहमति व्यक्त कर दिये जाने से वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण के हक में खातेदारी अधिकारों की घोषणा लोक अदालत की भावना से की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत ईस्तकरार हक, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमियॉ अवस्थित तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर की भूमि खसरा नम्बर 1728, 1749, 1750, 1751, 1752, 1758, 1840, 1841, 1842, 1875, 1876 कुल किता 11 कुल रकबा 4.07 हैक्टर के वादीगण नं. 1/1 से 1/6 को 3/8 हिस्सा का तथा वादीगण नं. 2 व 3 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 23 को 3/8 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1760, 1761, 1762 कुल किता 3 कुल रकबा 1.30 हैक्टर तन् ग्राम नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर के 1/2 हिस्सा का वादीगण नं. 1/1 से 1/6 को तथा 1/2 हिस्सा का वादीगण नं. 2 व 3 एंव तरतीबी प्रतिवादी सं. 23 को दर हिस्सा साढ़े तेरह आने का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार ग्राम रतनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 1914, 1916, 1917, 3441 कुल किता 4 कुल रकबा 2.98 हैक्टर के सम्पूर्ण के 1/6 हिस्से का वादीगण नम्बर 1/1 से 1/6 को तथा वादीगण नं. 2 व 3 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 को 1/6 हिस्सा कुल 1/3 हिस्से का एंव कृषि भूमि खसरा नम्बर 3510, 3512 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 हैक्टर के सम्पूर्ण का 1/2 हिस्से का वादीगण नं. 1/1 से 1/6 को तथा 1/2 हिस्सा का वादीगण नं. 2 व 3 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 को एंव भूमि खसरा नम्बर 4447 रकबा 0.80 हैक्टर के 3/8 हिस्सा का वादीगण सं. 1/1 से 1/6 को तथा 3/8 हिस्से का वादीगण सं. 2 व 3 एंव तरतीबी प्रतिवादीगण नं. 23 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कियकाक जाता है एंव इन भूमियों की खातेदारी से प्रतिवादी [illegible] ता [illegible] का नाम हजफ किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

08/11/21
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद्द तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— नाथूसर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) सत्यमेव जयते

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान—2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायतः— नाथूसर के मजमे—ए—आम में सुनाया गया।

08/11/21
(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः— नाथूसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.12.16 11:11:17 IST
Reason: SelfAttested